संख्या- 05/2019/485/44-1-2019-77/2009

प्रेषक,

डा0 पी0वी0 जगनमोहन
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रम/ निगम के प्रशासनिक विभागों
के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 30 मई, 2019

विषयः- वेतन समिति, 2016 के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को अनुमन्य नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2018/710/44-1-2018-77/ 2009, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 के प्रस्तर-5 में यह निर्देशित है कि यह आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2018 से लागू होंगे, के स्थान पर यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे, पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रभावी रहेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-212/दस-2019, दिनांक-30 अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 पी0वी0 जगनमोहन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 05/2019/485(1)/44-1-2018-77/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ।
2- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मुख्यमंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2 (03 प्रतियों में)
5- गोपन अनुभाग-1
6- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1/2/आडिट प्रकोष्ठ।
7- सचिव, वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 ।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in